प्रेस नोट

दिनांकः 07.11.2026

थाना मनकापुर पुलिस द्वारा जानलेवा हमला करने के 02 आरोपी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 06.11.2026 को थाना मनकापुर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम नकछेद पुरवा में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों के मध्य विवाद हुआ। इस दौरान विपक्षीगण मुन्दर पुत्र गनपत, अभय पुत्र मुन्दर, रानू पत्नी मुन्दर एवं महक पुत्री मुन्दर द्वारा वादिनी के पुत्र प्रदीप पर फरसा एवं सब्बल से हमला कर दिया गया, जिससे प्रदीप गंभीर रूप से घायल हो गया। बीच-बचाव करने पहुंची उसकी मां इन्द्राणी के साथ भी मारपीट की गई तथा फरसे से हमला कर घायल कर दिया गया। घटना में प्रदीप को गंभीर चोटें आने के कारण परिजनों द्वारा तत्काल जिला अस्पताल गोण्डा ले जाया गया, जहां चिकित्सकों द्वारा प्राथमिक उपचार के उपरान्त बेहतर इलाज हेतु लखनऊ रेफर कर दिया गया। प्रकरण में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना मनकापुर पर विपक्षीगण के विरुद्ध मु0अ0सं0 संबंधित धाराओं 118(1)/115(2)/352/109(1) बीएनएस के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया है।

कार्यवाही-

थाना को0 मनकापुर पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 427/2026 धारा 118(1)/115(2)/352/109(1) बीएनएस से सम्बन्धित अभियुक्तगण 1. मुनेन्दर पुत्र मुन्दर उर्फ गनपत एवं 2. अभय पुत्र मुन्दर उर्फ मुनेन्दर निवासीगण ग्राम नकछेदपुरवा, थाना को0 मनकापुर, जनपद गोण्डा को आज दिनांक 07.11.2026 को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरूद्ध थाना मनकापुर पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

1. मुनेन्दर पुत्र मुन्दर उर्फ गनपत, निवासी ग्राम नकछेदपुरवा, थाना को0 मनकापुर, जनपद गोण्डा।
2. अभय पुत्र मुन्दर उर्फ मुनेन्दर, निवासी ग्राम नकछेदपुरवा, थाना को0 मनकापुर, जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01- मु0अ0सं0 427/2026 धारा 118(1)/115(2)/352/109(1) बीएनएस थाना मनकापुर, जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम—

01- उ0नि0 अवधेश कुमार पाल मय टीम।

मीडिया सेल , गोण्डा।